न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक–................../2018 निगरानी
III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2018/1366

निगरानीकर्ता–
1. जुम्मन खां पुत्र काले खं आयु 36 वर्ष
2 साहिद खां पुत्र काले खं
3 महबूब खां पुत्र काले खं
4 सलमान खां पुत्र काले खां
5 छोटू नाबालिग पुत्र काले खांए सरपरस्त भाई जुम्मन खां , समस्थ निवासीगण मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0 प्र0

श्री .... 23/2/18 प्रारंभिक तर्क हेतु 6/3/18 नियत। रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्व

प्रतिनिगरानीकर्ता–
1 कालूराम उर्फ कल्लूराम पत्र श्री रामसिंह जाति राय
2 सलीमखां पुत्र श्री नामदारखां जाति मुसलमान निवासीगण काजी मोहल्ला तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0 प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक–16अ–12/2017–2018 में पारित आदेश दिनांक 22/12.2018 राजस्व निरीक्षक परगना मुंगावली जिला अषोकनगर (म0प्र0)

– 2

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ताओं की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानीकतागर्णों द्वारा तहसीलदार परगना मुंगावली, जिला अषोकनगर के समक्ष इस आषय का आवेदन दिनांक 23/08/2017 को अन्तर्गत धारा 70 एवं 32 म0प्र0भू0रा0स0 पेष किया गया जिस पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 34अ–3/2016–17 दर्ज किया गया है. जोकि विचाराधीन है एवं उक्त प्रकरण में निगरानीकतागर्णों के द्वारा स्थगन आवेदन धारा 52 म0प्र0भू0रा0स0 पेष किया गया जिस पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक कोई आदेष पारित नहीं किया गया है एवं निगरानीकतागर्णों के द्वारा राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष उक्त प्रकरण के लम्बित रहने तक सीमांकन न करने के लिये भी आवेदन प्रस्तुत किये गये थे जिसको अमान्य करते हूए यह आलाच्य आदेष दिनांक 22/12/2017 पारित किया गया है, जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है जिसमें निगरानीकतागर्णों के सफल होने की पूर्ण सम्भावना है

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/1366

जुम्मन खॉ विरूद्ध कालूराम उर्फ कल्लूराम

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/5/18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह रघुबंशी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। 2- यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 16/अ-12/2017-18 में की गयी सीमांकन कार्यवाही आदेश दिनांक 22.12.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु सीमांकन से संबंधित है(सीमांकन हेतु प्रस्तावित सर्वे क्रमांक 143/1 एवं कथित बटांक 143/6 एवं 143/7 (सीमांकन रिपोर्ट में 147/7 अंकित है जो गलत है) को बाद ग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा)। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि सीमांकन कार्यवाही करने से पहले सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी नहीं किए गये और न ही आवेदक को ही कोई सूचना पत्र जारी किए गये। और न ही सीमांकन कार्यवाही की जानकारी ही दी गयी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि सीमांकन विहित अधिकारी द्वारा न किया जाकर पटवारी द्वारा किया गया है। संहिता में सीमांकन करने का राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक को अधिकार है पटवारी को सीमांकन कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया कि विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है इसका अभी बटांकन नहीं हुआ है जिस बटांकन के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही की गयी है उस कार्यवाही को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर	

दिया गया है पुष्टि में अभिलेखीय तथ्य प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि के बटांकन की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 34/अ-3/2016-17 पर दर्ज होकर लंबित होना भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया न जाकर विचार में लिया जा रहा है। विवादित भूमि के बटांकन से संबंधित तहसीलदार के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 34/अ-3/2016-17 के निराकरण तक प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 को स्थगित/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेखों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रथमतः तो जो सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा की गयी उसकी राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22.12.2017 से पुष्टि की गयी है जो चुनौती युक्त है यह सीमांकन कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा न की जाकर पटवारी द्वारा दिनांक 19.12.17 को की जाकर रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक मुंगावली को पत्र के संलग्न कर प्रस्तुत की गयी है इस प्रकार यह कार्यवाही अधिकारिता वाह्य है पटवारी को सीमांकन करने का अधिकार ही नहीं है सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा की गयी है इस तथ्य की पुष्टि भी राजस्व निरीक्षक के सीमांकन स्वीकृति आदेश दिनांक 22.12.17 से होती है। प्रकरण में मुख्य रूप से विधिक त्रुटि यह है कि आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही पटवारी द्वारा संपन्न की गयी है जिसकी पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.12.17 को की गयी है। सीमांकन के संबंध में संहिता की धारा 129(2) अ.(5) में- धारा 129 के अधीन शक्तियां प्रदत्त- में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता"। इसी प्रकार इसी धारा में राजपत्र दिनांक 23.12.10 को प्रकाशित अधिसूचना क्र.एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार धारा 129 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां समस्त राजस्व निरीक्षको को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गयी हैं। इस प्रकार

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशो0/भू.रा./2018/1366

जुम्मन खॉ विरूद्ध कालूराम उर्फ कल्लूराम

आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही विधिविरूद्ध है। किसी भी पद के मूल अधिकार अधिकारी द्वारा किसी दूसरे अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के अधिकारों का उपयोग पटवारी द्वारा किया गया है जिन्हें राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। प्रकरण में बादग्रस्त भूमि का बटांकन भी विवादित होकर तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में बिना बटांकन के सीमांकन कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वहीं जिस कथित बटांकन को आधार बना कर सीमांकन किया गया है विवादित भूमि के उस बटांकन को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.11.2001 से निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नाधीन सीमांकन कार्यवाही आदेश दिनांक 22.12.17 किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही आदेश दिनांक 22.12.17 निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में लंबित बटांकन संबंधी प्रकरण क्रमांक 34/अ-3/2016-17 में समस्त हितवद्ध सहकृषकों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार बटांकन आदेश पारित करें तथा बटांकन पश्चात सीमांकन की कार्यवाही संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार पूर्ण करें। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त कार्यवाही में प्राधिकृत अधिकारियों का सहयोग करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्र0दा0रि0 हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य